सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,(प्रशासन) बीकानेर
बईजलास श्री ए.एच.गौरी, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा 38/2012 रेफरेंस (राजस्व विविध)

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) पूगल

प्रार्थी

बनाम

बद्रीप्रसाद पुत्र श्री तुलछाराम जाति कुम्हार निवासी हरखेवाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

अप्रार्थी

::रेफरेंस अन्तर्गत धारा 232 राज. काश्त. अधि. 1955 एवं सपठित धारा 82 एवं 88 (2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956::

उपस्थिति :–

1– स्टेट की ओर से – विभागीय प्रतिनिधि
2– अप्रार्थी की ओर से – श्री हरीश मदान अधिवक्ता

आदेश दिनांक 26.03.2019

1. प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी स्टेट की ओर से तहसीलदार पूगल ने रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 12 डी. के.डी. तहसील पूगल के मुरब्बा नम्बर 62/14 के किला नं. 1 ता 23 में कुल 23 बीघा भूमि जो कि ग्राम राणेवाला के खसरा नम्बर 71 में कुल रकबा 72.07 बीघा मिसल बन्दोबस्त में जोहड़ पायतन दर्ज रिकार्ड थी। वर्तमान जमाबन्दी संवत 2066–2069 में वर्णित जोहड़ पायतन गैर मुमकिन भूमि की किस्म को मुमकिन काश्त में परिवर्तन कर सहायक आयुक्त उपनिवेशन इ.गा.न.प. योजना छत्तरगढ़ के आदेश 31.07.1993 के द्वारा बद्रीप्रसाद पुत्र श्री तुलछाराम जाति कुम्हार निवासी हरखेवाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर को भूमि पुख्ता आवंटन कर दी। आवंटन की गई भूमि विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार कर माननीय राजस्व मण्डल को रेफरेंस करने हेतु निवेदन किया गया।

2. रेफरेंस प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी एवं अधिनस्थ न्यायालय की मूल आवंटन पत्रावली तलब की गई। अप्रार्थी की ओर से श्री हरीश मदान अधिवक्ता ने वकालतनामा एवं जवाब रेफरेंस प्रस्तुत किया।

3. तदन्तर विभागीय प्रतिनिधि व अप्रार्थी पक्ष के विद्वान अभिभाषक की मामले के गुणावगुण पर बहस सुनी गई ।

4. स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि की बहस है कि चक 12 डी.के.डी. तहसील पूगल के मुरब्बा नम्बर 62/14 के किला नं. 1 ता 23 में कुल 23 बीघा भूमि राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकीन जोहड़ पायतन दर्ज थी। जिसे सहायक आयुक्त उपनिवेशन इगानयो छत्तरगढ़ मु. बीकानेर ने अप्रार्थी को आवंटित कर दी।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 में इस प्रकार के आवंटनों को अवैध माना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 (3) के अनुसार गैर मुमकीन आगौर पायतन की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। सहायक आयुक्त उपनिवेशन इगानयो छत्तरगढ़ मु. बीकानेर द्वारा किया गया आवंटन विधि विरूद्ध व स्वतः ही शून्य आदेश है। रेफरेंस करने की मियाद निर्धारित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रेफरेंस आदेश फरमाया जावे।

5. अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस है कि अप्रार्थी को दिनांक 31.07.1993 को कोई आवंटन नहीं किया गया है। साथ ही यह भी कथन किया कि ग्राम राणेवाला के खसरा नम्बर 71 रकबा 72.07 बीघा जोहड़ पायतन दर्ज नहीं है, ना ही उक्त खसरा नं. 71 के मुरब्बा नम्बर 62/14 रकबा में परिवर्तन ही हुआ है। मुरब्बा नम्बर 62/14 के किला नं. 1 ता 23 में कुल 23 बीघा आराजीराज दर्ज थी एवं (अगर नहीं है तो भी जोहड़ पायतान को सेट अपार्ड कर दी गई है।) इसलिए आवंटन विधिवत सरकार के द्वारा ही किया गया है। डी.बी सिविल जन हित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय अप्रार्थी के लिए नहीं है ना ही उक्त निर्णय अप्रार्थी को आवंटित भूमि के लिए लागू होता है। क्योंकि उक्त निर्णय में अप्रार्थी पक्षकार भी नहीं था ना ही है। अप्रार्थी को राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से आवंटन की है। अप्रार्थी ने तमाम राशि भी उक्त रकबा की जमा करवा दी है । अप्रार्थी ने सन् 1993 से लाखों रूपयें लगाकर उक्त रकबा को काश्त योग्य बनाया है। राज्य सरकार ने विधि सम्मत तमाम कानूनी औपचारिकता पूरी करके रकबा को रकबा राज मानकर अप्रार्थी को उक्त भूमि का आवंटन 31.7.1993 को किया है। जिसे गलत आवंटन बताकर अप्रार्थी का आवंटन निरस्त कानूनन नहीं कर सकती। अप्रार्थी के विरूद्ध 29 साल बाद रेफरेंस पेश किया गया है जो कि मियाद अधिनियम के तहत बाहर है। अब 29 साल बाद उक्त रकबा को निरस्त नहीं किया जा सकता। प्रार्थी को उक्त रेफरेंस पेश करने का कानूनी अधिकार नहीं है। रेफरेंस प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध होने तथा मियाद बाहर होने के कारण खारिज करने योग्य है। अतः प्रस्तुत रेफरेंस प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

6. जवाब बहस में कथन किया कि आवंटन दिनांक 31.7.1993 लिपिकीय त्रुटि से अंकित हुआ है। वास्तव में आवंटन का आवेदन दिनांक 31.7.1992 को किया गया था जिस पर आवंटन दिनांक 22.7.1993 को किया गया है, जो कि नियम विरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

7. हमने अधिनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली व न्यायालय में जैर पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व उभय पक्ष की बहस पर मनन किया । आवंटन पत्रावली के मुताबिक अप्रार्थी को आवंटन दिनांक 22.7.1993 को होना पाया जाता है। प्रार्थी द्वारा आवेदन में अंकित आवंटन दिनांक 31.7.1993 को सद्भाविक लिपिकीय त्रुटि माना जा सकता है। प्रश्नगत भूमि मिसल बन्दोबस्त ग्राम राणेवाला के खसरा नम्बर 71 में कुल रकबा 72.07 बीघा गैर मुमकीन जोहड़ मजकूर दर्ज रिकार्ड है। जो कि मुताबिक उपनिवेशन विभाग की सूची नं. 4 के खसरा नम्बर 71 से अन्य रकबों के अलावा चक 12 डी.के.डी. तहसील पूगल के मुरब्बा नम्बर 62/14 के किला नं. 1 ता 23 में कुल 23 बीघा में पैमूद हुई। मुताबिक वर्तमान जमाबन्दी संवत 2066–69 में अप्रार्थी के नाम दर्ज हुई है। मुताबिक आवंटन आदेश सहायक आयुक्त उपनिवेशन इगानयो छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) 1975 के अन्तर्गत विशेष आवंटन में किया गया है। जिसके विरूद्ध रेफरेंस पोषणीय है। आवंटित की गई भूमि मुताबिक मिसल बन्दोबस्त ग्राम राणेवाला एवं सूची नं. 4 के राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 (3) के अनुसार प्रतिबंधित श्रेणी की है। इस भूमि को ना तो आवंटन किया जा सकता है व ना ही उस पर खातेदारी अधिकार अर्जित होते है। डीबी सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में अपने निर्णय दिनांक 2.8.04 द्वारा जोहड़ पायतन के संबंध में पारित आदेशों को अवैध माना है। मुतनाजा भूमि रिकार्ड में गैर मुमकीन जोहड़ पायतन की होने के कारण अप्रार्थी को किया गया आवंटन बहाल रखना हम उचित नहीं पाते है। हम विभागीय प्रतिनिधि की बहस से पूर्णतया सहमत होते हुवे रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायौचित पाते है।

8. उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में प्रार्थी स्टेट द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त रेफरेंस प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को इस अनुरोध के साथ रेफर किया जाता है कि अप्रार्थी के पक्ष में चक 12 डी.के.डी. तहसील पूगल के मुरब्बा नम्बर 62/14 के किला नं. 1 ता 23 में कुल 23 बीघा भूमि की बाबत सहायक आयुक्त उपनिवेशन इगानयो छत्तरगढ़ मु. बीकानेर_द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.07.1993 को खारिज करते हुवे प्रश्नगत भूमि बहक सरकार ली जाकर राजस्व रिकार्ड में अराजीराज अंकित करने के निर्देश प्रदान किये जावे।

9. उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 27.05.2019 को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष उपस्थित होवें।

10. आदेश आज दिनांक 26.03.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ए.एच गौरी)
अति.जिला कलक्टर(प्रशा)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner